

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,  
बिहार शहरी विकास अभिकरण,  
नगर विकास एवं आवास विभाग,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,  
जिला शहरी विकास अभिकरण,  
किशनगंज।

कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर पंचायत, ठाकुरगंज।

पटना, दिनांक...12/9/18

विषय:- स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजनान्तर्गत नगर पंचायत, ठाकुरगंज अन्तर्गत सामुदायिक शौचालय निर्माण योजना का परिमाण विपत्र अनुमोदन के संबंध में।

प्रसंग:- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, ठाकुरगंज का पत्रांक-687 दिनांक-25.07.2018 एवं पत्रांक-762 दिनांक-05.09.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के संबंध में निम्न विवरणी के आधार पर कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, किशनगंज के द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलनों के अनुसार निम्न परिमाण विपत्र अनुमोदित किया जाता है:-

क्र० सं०	वार्ड संख्या	वार्ड का नाम / चिन्हित स्थल	सामुदायिक शौचालय की संख्या	स्वीकृत परिमाण विपत्र की राशि (अनुसूचित मर्दों का)
01	01	प्रखंड परिसर	01	6,06,651/-
02	02	फाराबाड़ी	01	6,06,651/-
			01	6,06,651/-
03	02	प्रखंड के पास	01	6,06,651/-
04	03	चेंगमारी	01	6,06,651/-
			01	6,06,651/-
05	04	भीमवालीस	01	6,06,651/-
06	11	वशीर नगर	01	6,06,651/-
			01	6,06,651/-
कुल 09 योजना				

सामुदायिक शौचालय के मॉडल प्राक्कलन में आंतरिक विद्युतीकरण एवं स्वच्छता अधिष्ठापन आदि कार्य हेतु एकमुश्त प्रावधान है, जिसके दर की स्वीकृति नहीं दी जा सकती है। तदनुसार उन कार्य मर्दों का कार्य नियमानुसार नगर निकाय स्तर से कराया जा सकता है।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

अधीक्षण अभियंता

बिहार शहरी विकास अभिकरण  
नगर विकास एवं आवास विभाग  
बिहार पटना।